संख्या:121/2026/777/आठ-1-26/2004568

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2026

विषयः- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्दिरापुरम योजना में स्थित ऐलिवेटेड रोड पर दिल्ली जाने व दिल्ली से वसुन्धरा/इन्दिरापुरम उतरने के लिए स्लिप रोड एवं इस हेतु रोटरी, कैरिज-वे, जंक्शन लेग, सर्विस रोड, आईलैण्ड आदि कार्यों के निर्माण संबंधी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-83/2026/392/आठ-**1-26/2004568,** दिनांक 30.03.2026 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रभारी मुख्य अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-287/4/4ई0ई0जोन-6/2026, दिनांक 07.02.2026 के क्रम में **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्दिरापुरम योजना में स्थित ऐलिवेटेड रोड पर दिल्ली जाने व दिल्ली से वसुन्धरा/इन्दिरापुरम उतरने के लिए स्लिप रोड एवं इस हेतु रोटरी, कैरिज-वे, जंक्शन लेग, सर्विस रोड, आईलैण्ड आदि कार्यों के निर्माण संबंधी परियोजना** की व्यय वित्त समित द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 9123.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 3193.05 लाख (रूपये इकत्तीस करोड़ तिरानबे लाख पॉच हजार मात्र) की

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस शर्त के साथ निर्गत की गयी थी कि परियोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 9123.00 लाख के सापेक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 9060.70 लाख से व्यय वित्त समित एवं वित्त विभाग को संज्ञानित कराते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 9060.70 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 8974.69 लाख पर मूल्यांकित किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु मूल्यांकित लागत रू0 8974.69 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त शासनादेश संख्या-83/2026/392/आठ-1-26/2004568, दिनांक 30.03.2026 के प्रस्तर-1 (31) में उल्लिखित शर्त को छोड़कर उक्त शासनादेश की समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त दिनांक 10.03.2026 (पी0डी0एफ0 संलग्न) में लगायी शर्तों के अतिरिक्त व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त दिनांक 22.05.2026 (पी0डी0एफ0 संलग्न) में लगायी गयी समस्त शर्तों का भी पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026,** दिनांक **28** मार्च**, 2026** में वित्तीय स्वीकृतियॉं निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadeshup.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-002 लेखा शीर्षक 4217608000800 लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी व अन्य शहरों में रोप-वे विकसित करने हेतु मानक मद 30-निवेश/ऋण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-**E-8-187-X-2026-27**-दिनांक: **30.06.2026** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
(राजेश कुमार राय)
विशेष सचिव।

संख्या:121/2026/777(1)/आठ-1-26/2004568, **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, मेरठ।
4. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in